न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)
पीठासीन अधिकारीः अतुल प्रकाश, आई.ए.एस.
प्रकरण संख्याः 89/2015
उनवान

नारीया पिता हुरजी जाति भील निवासी लोहारिया (बलाप) तहसील गढ़ी। —: वादी

बनाम

(1) जिवला पिता गोतिया जाति भील निवासी लोहारिया (बलाप) तहसील गढ़ी।
(2) तहसीलदार, तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा। —: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय

दिनांकः 09.3.2021

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी के व स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि खाता संख्या 121 (नई) के सर्वे नम्बर 4979/4654 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा भूमि जमाबन्दी संवत 2036 से वाके ग्राम लोहारिया (बलाप) तहसील गढ़ी में स्थित है। जिस पर वादी पिछले 50 वर्षो से शान्तिपूर्वक काश्त करता आ रहा है एंव आज भी उक्त सर्वे नम्बर पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। सेटलमेंन्ट के दौरान् सेटलमेंन्ट अधिकारियों द्वारा त्रुटिपूर्ण तरीके से वादी के उक्त सर्वे नम्बर 4979/5654 के नये सर्वे नम्बर 7821 रकबा 0.08 हे0 बनाये गये है। जो नये नक्शा ट्रेस व तुलनात्मक से पुराने सर्वे नम्बर के मुताबिक प्रस्थापित नही किया गया हैं। तथा वादी के सर्वे नम्बर की भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 के खातें में डाल दिया गया है एंव नया नक्शा ट्रेस सन्/संवत 1939 व 1996 के क्षेत्रफल और तुलनात्मक का नवीनतम नक्शा ट्रेस के अवलोकन से तथा तुलनात्मक से यह प्रतीत होता हैं कि वादी के पुराने सर्वे नम्बर 4979/4654 क्षेत्रफल 1 बीघा 19 बिस्वा का क्षेत्रफल सर्वे नम्बर 7821/8164 क्षेत्रफल 0.17 हे0 व सर्वे नम्बर 7822 कुल क्षेत्रफल 0.22 हे0 में से 0.14 हे0 की भूमि दक्षिणी भाग में प्रतिस्थापित होती है जो प्रतिवादी के नाम रिकार्ड कर दी गई है। सेटलमेंन्ट के दौरान् वादी का नया सर्वे नम्बर 7821 रकबा 0.08 हे0 गलत बनाया गया है। पुराने सर्वे नम्बर का क्षेत्रफल 0.31 हे0 बनता है। प्रतिवादी कें खातें में त्रुटिपूर्ण तरीके से दर्ज किये गये सर्वे नम्बर 7822 क्षेत्रफल 0.22 हे0 व सर्वे नम्बर 7821/8164 क्षेत्रफल 0.14 हे0 भूमि प्रतिवादी के नाम से हटाकर वादी के नाम खाता दर्ज रेकार्ड कर वादी को खातेदार घोषित करने हेतु धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत हुआ।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से श्री विरेन्द्र सिंह राव, अभिभाषक का वकालातनामा पेश होकर प्रतिवादी संख्या 01 की तरफ से जवाब प्रस्तुत होने पर प्रकरण में निम्नानुसार तनकियात् कायम की गईः—

(1) आया ग्राम लोहारिया की आराजी खसरा नम्बर 4979/4654 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा संवत 2036 से 2039 में वादी संख्या 01 के स्वामित्व व कब्जे काश्त की रही है। —: वादी

(2) आया सेटलमेंन्ट के दौरान् पुरानी आराजी के नवीन खसरा नम्बर 7821/8164 रकबा 0.17 हे0 व खसरा नम्बर 7822 रकबा 0.22 हे0 बनें है जिसमें से 0.14 हे0 भूमि दक्षिणी भाग वाली को प्रतिवादी के नाम सेटलमेंन्ट की त्रुटि के कारण दर्ज कर दी है। —: वादी

(3) आया वादी आराजी खसरा नम्बर 7821/2164 रकबा 0.17 हे0 व 7822 रकबा 0.20 हे0 में से 0.14 हे0 सेटलमेंन्ट की गलती के कारण प्रतिवादी के नाम दर्ज है जिसे वादी अपने हक में दर्ज कराने का अधिकारी है। —: वादी

(4) आया वाद दोबारा पेश किये जाने योग्य नही। —: वादी

(5) आया वाद कारण उत्पन्न नही होने से वाद चलने योग्य नही है। —: प्रतिवादी

(6) दादरसीः— —: प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:08:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

वादी की साक्ष्य के रूप में श्री नारीया पिता हुरजी, रामा पिता खला, जयन्तिलाल पिता भगा के शपथ–पत्र पेश होकर प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा जिरह की गई। प्रतिवादी अभिभाषक को साक्ष्य हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादी की साक्ष्य पेश नही होने पर प्रतिवादी की साक्ष्य बन्द की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की जाकर बकुलाय की बहस सुनी गई। प्रकरण में कायम की गई तनकियात् निम्नानुसार निर्णित की जाती है:–

तनकी संख्या 01 को सिद्ध करने का भार वादी का था, वादी द्वारा जमाबन्दी संवत 2036 से 2039 प्रदर्श–1 प्रस्तुत की गई है। अतः उक्त तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 02 को सिद्ध करने का भार वादी का था, इस सम्बन्ध में वादी द्वारा पुराना नक्षा ट्रेस प्रदर्श 12 व नया नक्षा ट्रेस प्रदर्श 13 तथा जमाबन्दी प्रदर्श 01, 06, 08 अनुसार उक्त दोनो नये व पुराने नक्षे तथा हाल जमाबन्दी प्रदर्श 08 से साबित होता हैं कि वादी का जो पुराना सर्वे नम्बर 4979/4664 रकबा 01 बिघा 19 बिस्वाथा, जिसका भू–प्रबन्ध के दौरान् सर्वे नम्बर 7821 रकबा 0.08 हे0 बना हे जो कि नियमानुसार रकबा 0.31 हे0 बनना था एंव भू–प्रबन्ध की त्रुटी के कारण पड़ोसी खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 के हाल सर्वे नम्बर 7821/8164 रकबा 0.17 हे0, सर्वे नम्बर 7822 रकबा 0.20 हे0 में से रकबा 0.14 हे0 भूमि पुराने खातें की भूमि है। इस बात की पुष्टि प्रदर्श 07 तहसीलदार कि रिपोर्ट से भी होती है। अतः उक्त तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 03 को सिद्ध करनें का भार वादी का था, तनकी संख्या तीन वादी के पक्ष में निर्णित होने से उक्त तनकी भी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 04 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी का था, परन्तु प्रतिवादी द्वारा पूर्व में प्रार्थना–पत्र धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम में पेश होने पर न्यायालय में संशोधित वाद प्रस्तुत नही होने से खारिज किया गया है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 05 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी का था, प्रतिवादी द्वारा वाद कारण उत्पन्न नही होने बाबत् कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है तथा वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में दस्तावेज पेश किये गये है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

प्रकरण में बकुलाय की बहस सुनी गई। बहस पर मनन् एंव वादी की ओर से प्रस्तुत वाद, संलग्न जमाबन्दी संवत 2036 से 2039, नकल जमाबन्दी संवत 2067 से 2070, तुलनात्मक पत्र, नक्षा ट्रेस, तहसीलदार, गढ़ी की रिपोर्ट आदि का अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचा हैं कि वक्त भू–प्रबन्ध वादी के पुराने खातें व कब्जे की कृषि भूमि सर्वे नम्बर 4979/4654 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा को त्रृटिपूर्ण तरीके से नये सर्वे नम्बर 7821 रकबा 0.08 हे0 बना दिया गया है तथा प्रतिवादी के खातें के नये सर्वे नम्बर 7821/8164 रकबा 0.17 हे0 व सर्वे नम्बर 7822 रकबा 0.20 हे0 में रकबा 0.14 हे0 भूमि प्रतिवादी के हक में अधिक दर्शायी गई है, जिसे प्रतिवादी के खातें के सर्वे नम्बर 7821/8164 रकबा 0.17 हे0, सर्वे नम्बर 7822 रकबा 0.20 हे0 में से कमी कर वादी के खातें के सर्वे नम्बर 7821 में सम्मिलित किया जाना न्यायोचित है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर पटवार हल्का लोहारिया के मौजा लोहारिया की खाता संख्या 193 (नई) 174 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 7821/8164 रकबा 0.17 हे0, सर्वे नम्बर 7822 रकबा 0.20 हे0 में से रकबा 0.14 हे0 भूमि प्रतिवादी के खातें से कमी कर वादी के सर्वे नम्बर 7821 में सम्मिलित करने का आदेश दिया जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है।

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर पटवार हल्का लोहारिया के मौजा लोहारिया की खाता संख्या 193 (नई) 174 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 7821/8164 रकबा 0.17 हे0, सर्वे नम्बर 7822 रकबा 0.20 हे0 में से रकबा 0.14 हे0 भूमि प्रतिवादी के खातें से कमी कर वादी के सर्वे नम्बर 7821 में सम्मिलित करने का आदेश दिया जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जाकर इस आशय की डिक्री पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 09.3.2021 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Signature Not Verified
Digitally Signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:08:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : अतुल प्रकाश (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 89/2015

उनवान

तारीया पिता हुरजी जाति भील निवासी लोहारिया (बलाप) तहसील गढ़ी।

—: वादी

बनाम

(1) जिवला पिता गोतिया जाति भील निवासी लोहारिया (बलाप) तहसील गढ़ी।
(2) तहसीलदार, तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 09.3.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफ़िसाल कतई रूबरू अभिभाषकगण पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर पटवार हल्का लोहारिया के मौजा लोहारिया की खाता संख्या 193 (नई) 174 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 7821/8164 रकबा 0.17 हे0, सर्वे नम्बर 7822 रकबा 0.20 हे0 में से रकबा 0.14 हे0 भूमि प्रतिवादी के खातें से कमी कर वादी के सर्वे नम्बर 7821 में सम्मिलित करने का आदेश दिया जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जाकर इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 09.3.2021 को जारी की गई।

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

मुदई	रूपया पैसा	मुद्ववायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		शून्य
कुल	शून्य	कुल	शून्य

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:08:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner